18/12/23

हैं। श्रवण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
आगन्दा दिनांक 05-02-24 को पेश हो।

05/02/24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व प्रार्थी को व्यवहारिक दूरी बनाकर आवाज लगायी गयी कोई हाजिर नहीं अतः पत्रावली सिवाय हाजरी आज पेशी से अवधीय की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हिसाब अवधि के क्रम की जाकर वकील दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी, पिडावा